

**MINING PLAN FOR AGARIYA CRUSHER STONE (BASALT)**  
**QUARRY LEASE**

इस माइनिंग प्लान का अनुमोदन माइनिंग प्लान  
अनुमोदन पत्र के दिनांक 30/05/13  
से उल्लेखित शर्तों/प्रतिकर्षों के अधीन हुआ है।

VILLAGE : AGARIYA  
TEHSIL : GOUHARGANJ  
DISTRICT : RAISEN  
MINERAL : CRUSHER STONE (BASALT)  
KHASRA NO. : 95,107/1/1/1  
AREA : 3.797 HECTARE  
PROPOSED PRODUCTION : 25365 M3/Year  
STATE : MADHYA PRADESH  
LEASE PERIOD : 10 YEAR

SUBMITTED UNDER RULES 42 (D) & PMPC UNDER 42(1-2) OF MMR, 1996  
FOR GRANT OF QUARRY LEASE

**LESSEE:**

M/S PIONEER INFRASTRUCTURE  
PARTNER SHRI SANJAY KOTHARI  
RESI - B-73, ALKAPURI, BHOPAL  
DISTT - BHOPAL [M.P.]

APPROVED:

*(Signature)*  
DIRECTOR

**PREPARED BY:**

**Balraj Singh Choudhary (Geologist)**

SEONI PRAAN MOTI CHHINDWARA MP

Registration No. RQP/DGMMP/040/2013

Valid up to 20.05.2018

Mob. 09424936014

अनुमोदित  
APPROVED

*(Signature)*

Balraj Singh Choudhary  
RQP/DGMMP/040/2013



क्षेत्रीय कार्यालय,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-16

Phone & Fax No. 0755-4278342, e-Mail - romppcb\_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 3031 / क्षेत्रा / प्रनिबो / 2015  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/5/2015

✓ मे0 पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर (बोल्डर माइन-9.38 एकड़)  
(पार्टनर) श्री संजय कोठारी,  
बी-73, अलकापुरी,  
भोपाल ।

PCB ID- 19659  
A.W. - 31148  
DATE - 22.05.2015

- विषय:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सम्मति का नवीनीकरण।
- संदर्भ:- उद्योग का सम्मति नवीनीकरण ऑन लाइन आवेदन आवक क्रमांक 78222 दिनांक 05.0.2015.

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1206 दिनांक 28-03-2012 एवं पत्र क्रमांक 1209 दिनांक 28-03-2012 के द्वारा आपकी स्टोन खदान इकाई को (खदान स्थल-खसरा नंबर 95, 170/1/1/1, ग्राम-अगरिया, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन) कमशः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के द्वारा दी गई सम्मति का नवीनीकरण दिनांक 14.09.2020 तक की अवधि हेतु उक्त सम्मति पत्र में निहित सामान्य तथा विशिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन निम्न उत्पादन क्षमता हेतु जारी किया जाता है-

उत्पाद  
माईनिंग ऑफ स्टोन -

उत्पादन क्षमता  
5000 घनमीटर/वर्ष (पांच हजार घनमीटर प्रतिवर्ष)

नवीनीकरण शर्तें :-

1. खदान में हॉल रोड में धूल नियंत्रण हेतु जल छिड़काव व्यवस्था का सतत संचालन सुनिश्चित करना होगा।
2. खदान परिसर में वर्ष 2015-16 में 50 वृक्षों का रोपण करना होगा।
3. खदान की प्रक्रिया, उत्पादन क्षमता एवं अन्य किसी प्रकार का क्षमता विस्तार करने के पूर्व पुनः से सम्मति तथा ई.आई.ए.नोटिफिकेशन 2006 के अन्तर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
4. खदान को एक उत्पादन रजिस्टर का संधारण करना होगा तथा प्रतिवर्ष उत्पादन का आंकड़ा बोर्ड में प्रस्तुत करना होगा।

पृ0क0 / क्षेत्रा / प्रनिबो / 2015  
प्रतिलिपि:-

खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर(खनिज शाखा) जिला-रायसेन। कृपया बोर्ड द्वारा प्रदत्त उत्पादन क्षमता से अधिक का पिटपास जारी न करें।

✓ क्षेत्रीय अधिकारी  
भोपाल, दिनांक .....

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय,  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
पर्यावरण परिसर,ई-5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-16  
Phone & Fax No. 0755-4278342, e-Mail - romppcb\_bpl@rediffmail.com

क्रमांक 3029/क्षेका/प्रनिबो/2015  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/5/15

मे0 पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर (स्टोन कशर),  
(पार्टनर) श्री संजय कोठारी,  
बी-73, अलकापुरी,  
भोपाल ।

PCB ID- 19659  
A.W. - 31149  
DATE - 22-5-2015

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सम्मति का नवीनीकरण।  
संदर्भ:- उद्योग का सम्मति नवीनीकरण ऑन लाइन आवेदन आवक क्रमांक 78223 दिनांक 05.05.2015.

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1203 दिनांक 28-03-2012 एवं पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 28-03-2012 के द्वारा आपके उद्योग को (उद्योग स्थल-खसरा नंबर 95, 170/1/1/1, ग्राम-अगरिया, तहसील-गौहरगंज, जिला-रायसेन) कमशः जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के द्वारा दी गई सम्मति का नवीनीकरण दिनांक 14.09.2020 तक की अवधि हेतु उक्त सम्मति पत्र में निहित सामान्य तथा विशिष्ट शर्तों तथा अधोलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन निम्न उत्पादन क्षमता हेतु जारी किया जाता है-

उत्पाद	उत्पादन क्षमता
स्टोन कशिंग -	5000 घनमीटर/वर्ष (पांच हजार घनमीटर प्रतिवर्ष)

**नवीनीकरण शर्तें :-**

1. उद्योग को स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सतत संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करना होगा।
2. उद्योग को बोर्ड की क्रशर हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका दिनांक 19.02.2004 में सुझाये अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का उन्नयन करना होगा।
3. उद्योग को क्रशिंग पूर्व बोल्टर्स पर जल छिड़काव की स्थायी व्यवस्था (वाटर टैंक, पाइप, गेट वाल्व एवं शॉवर) का सतत संचालन एवं संधारण करना होगा।
4. उद्योग परिसर में वर्ष 2015-16 में 50 वृक्षों का वृक्षोपकरण करना होगा।

पृ0क0 /क्षेका/प्रनिबो/2015

प्रतिलिपि:-

खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर(खनिज शाखा) जिला-रायसेन।

क्षेत्रीय अधिकारी  
भोपाल, दिनांक .....

क्षेत्रीय अधिकारी

कायालय कलक्टर (खानज शाखा) रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक/३३९ /खनिज/15

रायसेन, दिनांक 25 अप्रैल 2015

:: आदेश ::

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा आ0 श्री लीलाधर शर्मा निवासी वार्ड 9 हिरानिया (औबेदुल्लागंज) तहसील गौहीगंज जिला रायसेन पक्ष में ग्राम अगरिया तहसील गौहरगंज स्थित खसरा क्रमांक 95.107/1/1 रकबा भाग 3.797 हेक्टर क्षेत्र पर केशर मशीन से गिट्टी निर्माण कर विक्रय हेतु उत्खनि पट्टा कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1092 दिनांक 15.9.2010 से 10 वर्ष हेतु स्वीकृत है। जिसके निष्पादित होकर पंजीकृत अनुबंध अनुसार अवधि दिनांक 8.10.2010 से दिनांक 7.10.2020 तक है।

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा उक्त उत्खनि पट्टा शेष अवधि हेतु मेसर्स पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर श्री संजय कोठारी एवं अनीता कोठारी, तथा निकिता कोठारी निवासी बी/73 अलकापुरी भोपाल को अन्तरित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, दोनों की सहमति एवं प्रस्तुत शपथ-पत्र तथा जमा अन्तरण शुल्क के आधार पर म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 35(1) के अन्तर्गत शेष अवधि हेतु अन्तरण की अनुमति दी जाती है।

अन्तरणगृहीता मेसर्स पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर श्री संजय कोठारी एवं अनीता कोठारी, तथा निकिता कोठारी निवासी बी/73 अलकापुरी भोपाल को नियमानुसार 3 माह की कालावधि में भूमि पट्टा विलेख कराना होगा। शेष शर्तें निम्नानुसार है—:

1.	रायल्टी	:-	म0 प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 29 के अधीन अनुसूची 3 में दिये गये अनुसार प्रति घन मीटर देय होगा।
2.	स्वीकृत क्षेत्र	:-	ग्राम अगरिया तहसील गौहरगंज खसरा क्रमांक 95, 107/1/1/रकबा भाग 3.797 हेक्टर
3.	खनिज का नाम	:-	केशर द्वारा गिट्टी निर्माण कर विक्रय करने हेतु।
4.	अवधि	:-	दिनांक 07.10.2020 तक
5.	नियत कर	:-	मृतकर (डेडरेंट) म0 प्र0 गौण खनिज 1996 के नियम 29 के अधीन अनुसूची 4 में दिये गये प्रावधान अनुसार लागू होगा
6.	सरफेस रेंट	:-	रुपये 5/- प्रति हेक्टर प्रतिवर्ष के मान से देय होगा।
7.	सुरक्षा निधि एवं अन्य राशि	:-	म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 25(1) अनुसार सुरक्षा निधि राशि रुपये 1000/-सीमांकन शुल्क रुपये 100/- मानचित्र शुल्क रुपये 100/- चालान द्वारा जमा कराकर प्रस्तुत करना होगा।
8.	स्टाम्प शुल्क गणना हेतु वार्षिक रायल्टी	:-	जलवायु सम्मति में उल्लेखित मात्रा अनुसार अनिवार्य भाटक रुपये 500000 के आधार पर देय होगी।
9.	प्रतिभू- बंध पत्र	:-	म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 25(2) अनुसार निर्धारित प्रारूप में रुपये तीन लाख बीस हजार की जमानत भरकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।
10.	वित्तीय प्रतिभूति	:-	म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 (6) (क) के अनुरूप रुपये 60000/- की वित्तीय प्रतिभूति किसी अधिसूचित बैंक से बैंक गारंटी, फिक्स डिपोजिट अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेटके रूप में प्रस्तुत करना होगा
11.	खनिज निकासी	:-	म0 प्र0 गौण खनिज नियम 29(7) के अनुसार प्रारूप 9 में
12.	खनन योजना	:-	अनुमोदित खनन योजना के अनुसार कार्य करना होगा।
13.	मासिक/त्रैमा0/अर्द्ध0/ वार्षिक पत्रक	:-	म0 प्र0 गौण खनिज नियम 96 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में नियत तिथि को प्रस्तुत करना होगा

25/04/15

14.	भू- परिमाण	:-	थेरोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो ।
15.	सीमॉकन व पक्के	:-	स्वीकृत क्षेत्र का मौके पर सीमॉकन व पक्के मुनारें स्थापित रखना होगा
16.	पर्यावरण स्वीकृति एवं प्रदूषण पर नियंत्रण	:-	खनिज दोहन कार्य के पूर्व जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करना अनिवार्य होगा
17.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत	:-	वन सीमा से नियमानुसार 250 मीटर की दूरी पर छोड़कर स्वीकृत क्षेत्र में ही उत्खनन करना होगा । स्वीकृत क्षेत्र से 1 कि० मी० के अन्दर यदि अवैध उत्खनन कार्य होता है तो इसकी सूचना देने का उत्तरदायित्व आपका होगा ।
18.	अन्य शर्तें	:-	अन्य समस्त शर्तें म० प्र० गौण खनिज 1996 एवं निष्पादित अनुबंध अनुसार मान्य होगी ।

यदि उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो पट्टा स्वीकृति दिनांक से तीन माह के अंदर म० प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 35(3) के अनुसार प्रारूप -14 में उत्खनि पट्टा विलेख निष्पादित कराया जाकर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन रजिस्ट्रीकरण किया जाये। यदि समस्त औपचारिकताएँ उपरोक्त कालावधि में नहीं की जाती है तो यह आदेश प्रतिसंहृत किया गया समझा जावेगा।

// कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित //


सहायक खनिज अधिकारी  
जिला-रायसेन

रायसेन दिनांक 25 अप्रैल 2015

पृ०क्र०/339 /खनिज/2015  
प्रतिलिपि:-

1. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल औबेदुल्लागंज की ओर सूचनार्थ ।
2. अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज की ओर सूचनार्थ ।
3. तहसीलदार गौहरगंज की ओर सूचनार्थ ।
4. खनिज निरीक्षक रायसेन की ओर सूचनार्थ ।
5. सरपंच ग्राम पंचायत अगरिया जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज जिला-रायसेन ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण ई-5 अरेरा कालोनी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा आ० श्री लीलाधर शर्मा निवासी वार्ड 9 हिरानिया (औबेदुल्लागंज) तहसील गौहीगंज जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. मेसर्स पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर श्री संजय कोठारी एवं अनीता कोठारी, तथा निकिता कोठारी निवासी बी/73 अलकापुरी भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक खनिज अधिकारी  
जिला-रायसेन



प्रति,

श्रीमान् कलेक्टर महोदय,  
(खनिज शाखा)  
जिला रायसेन म0प्र0

विषय- आवेदन पत्र अन्तर्गत म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 35(1) स्वीकृत उत्खनिपट्टा वास्ते पत्थर केशर ख.कं. 95 एवम् 107/1/1/1 रकबा 3.797 हेक्टर, ग्राम अगरिया तहसील गौहरगंज, मेसर्स पायोनियर इन्फ्राट्रेक्चर पार्टनर्स- संजय कोठारी, श्रीमति अनीता कोठारी, एवम् निकिता कोठारी के नाम ट्रांसफर (अंतरण) किये जाने बाबत।


महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है कि-

- 1/ यह कि, आवेदक/अन्तरक के नाम श्रीमान् कलेक्टर महोदय(खनिज शाखा) रायसेन के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1092/खनिज/2010 दिनांक 15 सितम्बर 2010 के अनुसार उत्खनिपट्टा पत्थर केशर ख.कं. 95 एवम् 107/1/1/1 रकबा 3.797 हे. ग्राम अगरिया तहसील गौहरगंज जिला रायसेन, स्वीकृत कर प्रदान किया गया है। उत्खनिपट्टा अवधि दस वर्ष अर्थात् दिनांक 27.09.2010 से 26.09.2020 तक विधिमान्य है।
2. यह कि, आवेदक/अन्तरक अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है इसकारण से स्वीकृत उत्खनिपट्टा पत्थर केशर का संचालन करने में परेशानी होती है। आवेदक/अन्तरक उपरोक्त कारण से अपने नाम से स्वीकृत उत्खनिपट्टा स्टोन केशर को अन्तरिती मेसर्स पायोनियर इन्फ्राट्रेक्चर पार्टनर्स- संजय कोठारी, श्रीमति अनीता कोठारी एवम् निकिता कोठारी, पता- बी-73 अलकापुरी भोपाल (म.प्र.) के नाम से ट्रांसफर कराना चाहता है। तथा अन्तरक/आवेदक, म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 35(1) में यथा विहित रीति के अनुसार तीन वर्ष के विद्यमान अनिवार्य भाटक की तीन गुना राशि का भुगतान करने सहमत है।
3. यह कि, आवेदक/अन्तरक के नाम से स्वीकृत उत्खनिपट्टा मेसर्स पायोनियर इन्फ्राट्रेक्चर पार्टनर्स- संजय कोठारी, श्रीमति अनीता कोठारी, एवम् निकिता कोठारी, पता- बी-73 अलकापुरी भोपाल (म.प्र.) के नाम से उत्खनिपट्टा ट्रांसफर कर दिये जाने से आवेदक/अन्तरक को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदन के साथ मय आवेदक/अन्तरक का नोटरीकृत शपथ पत्र/सहमतिपत्र संलग्न है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि आवेदक/अन्तरक के नाम से स्वीकृत उत्खनिपट्टा बास्ते पत्थर केशर ख.कं. 95 एवम् 107/1/1/1 रकबा 3.797 हे. ग्राम अगरिया तहसील गौहरगंज को म.प्र.गौण खनिज नियम 1996 के नियम 35(1) के अन्तर्गत अन्तरिती मेसर्स पायोनियर इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स- संजय कोठारी, श्रीमति अनीता कोठारी, एवम् निकिता कोठारी, पता- बी-73 अलकापुरी भोपाल (म.प्र.) के नाम ट्रांसफर (अंतरण) करने की कृपा करेंगे।

दिनांक:- 04.2015

  
आवेदक/अन्तरक

नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री लीलाधर शर्मा  
नि. हिरानियों औबेदुल्लागंज तहसील गौहरगंज  
जिला रायसेन (म.प्र.)  
लीजपट्टा-ग्राम अगरिया तहसील  
गौहरगंज, जिला रायसेन म.प्र.

संलग्न:-

1. स्वीकृति आदेश की छायाप्रति.
2. उत्खनिपट्टा विलेख (प्रारूप-सात)[नियम 26 देखिए] छायाप्रति.
3. स्वयं का नोटरीकृत सहमतिपत्र/शपथपत्र.
4. फोटो आईडी की छायाप्रति.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन (म.प्र.)

क्रमांक / 176 / खनिज / 2015  
प्रति,

रायसेन, दिनांक 25/07/2015

सदस्य सचिव  
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्रधिकरण  
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- स्वीकृत उत्खनि पट्टा खदान के 500 मीटर की परिधि में स्थित अन्य खदानों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने बावत्।

—0—

उपरोक्त विषय में लेख है कि आवेदक मेर्सस पायोनियर इन्फ्रास्ट्रचर के पक्ष में जिला रायसेन तहसील गौहरगंज के ग्राम अगरिया स्थित भूमि खसरा न 95, 107/1/1/1 रकबा भाग 3. 797 हे० क्षेत्र पर क्लेशर द्वारा गिट्टी विनिर्माण हेतु खनिज पत्थर का उत्खनिपट्टा 10 वर्षों हेतु स्वीकृत है।

स्वीकृत क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में निम्नानुसार उत्खनि पट्टा स्वीकृत है :-

क्र.	पट्टेदार का नाम	ग्राम	खसरा न.	रकबा (हे०)	खनिज	रिर्मांक
1	श्रीमति मीना चौहान	अगरिया	106/1/2, 107/2/1	3.643	गिट्टी क्लेशर	
2	जसवंत सिंह चौहान	अगरिया	106/1/1, 107/2/2	3.643	गिट्टी क्लेशर	
3	गोपाल दास शर्मा	अगरिया	94/2, 119/1/2	3.684	गिट्टी क्लेशर	
4	मो० गनी खान	अगरिया	17/2/4, 17/2/5, 17/2/6	1.720	गिट्टी क्लेशर	
5	गोविंद खन्ना	अगरिया	12/2/1	1.619	गिट्टी क्लेशर	
6	गोविंद खन्ना	अगरिया	15	1.900	गिट्टी क्लेशर	
7	खिजर हुसैन	अगरिया	19/2/3, 19/2/4	1.761	गिट्टी क्लेशर	
8	दानिश अनवर	अगरिया	17/1, 19/1	1.214	गिट्टी क्लेशर	
9	निरंजन सिंह पाल	अगरिया	16/1, 12/2/2	1.914	गिट्टी क्लेशर	
10	प्रदीप मालवीय	अगरिया	165/375	1.214	गिट्टी क्लेशर	
11	मनोज धाकड	अगरिया	119/2/3, 119/1/3	2.833	गिट्टी क्लेशर	
			योग :-	25.145		

वाछित जानकारी सादर प्रेषित है।

पृ. क्रमांक / / खनिज / 2015  
प्रतिलिपि

1. मेर्सस पायोनियर इन्फ्रास्ट्रचर की ओर सूचनार्थ।

सहायक खनिज अधिकारी  
जिला-रायसेन  
रायसेन, दिनांक 25/07/2015

S/d  
सहायक खनिज अधिकारी  
जिला-रायसेन

प्रति,

1. कलेक्टर  
जिला रायसेन
2. सदस्य सचिव  
SEIAA  
पर्यावरण परिसर  
ई 5 अरेरा कालोनी भोपाल

विषय :- 5 हेक्टेयर से कम खनिज उत्खनन की पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिए परिशिष्ट 1 में बिन्दु क्रमांक 5 से 16 के सत्यापन बाबत।

सदर्भ

उपरोक्त विषयांतर्गत श्री मेसर्स प्रायोनिगर इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा ..... खनिज काला पत्थर  
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 3.797 हे० में माइनिंग के लिए लीज अवधि 10 वर्ष खसरा क्रमांक 95, 107/1/1/1  
ग्राम अगारिया तहसील गौहरगंज जिला रायसेन हेतु पूर्व  
पर्यावरण अनुमति के लिए परिशिष्ट 5 से बिन्दु क्रमांक 16 से तक की जानकारी नियमानुसार है

क्र	निर्धारित बिन्दु	हाँ नहीं	जानकारी विवरण (यदि हाँ है तो संपूर्ण विवरण दें)
5.	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई मानव बसाहट स्थित है ?	नहीं	-
6.	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई जलीय निकाय स्थित है ?	नहीं	-
7.	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई नदी स्थित है ?	नहीं	-
8.	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई शैक्षणिक संस्थान स्थित है ?	नहीं	-
9.	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई चिकित्सालय स्थित है ?	नहीं	-
10.	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई अंतर्राज्यीय सीमा स्थित है ?	नहीं	-
11.	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्वीय महत्त्व के स्थल स्थित है ?	नहीं	-
12.	क्या 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्थिति है। यदि हाँ, तो कुल क्षेत्रफल तथा खनिज का नाम	हाँ	स्वीकृत अन्य खदानों का कुल खसरा 25.145 हे० खनिज - काला पत्थर
13.	प्रस्तावित खनिज का अनुमानित का उत्पादन	हाँ	माइनिंग प्लान अनुसार
14.	नदी से रेत खनन के प्रकरण में : (अ) नदी किनारे से खनन की दूरी क्या है ? अ) दी की कुल चौड़ाई का 1/5 भाग कितने मीटर में है ?	नहीं	-
15.	क्या प्रस्तावित परियोजना के कारण महत्व महत्वपूर्ण जलागम (Water Intake) या जलबहाय क्षेत्र में परिवर्तन होगा ? (यदि हाँ, तो परिवर्तन का विवरण दें)	नहीं	-
16.	खनिज उत्खनन प्रक्रिया के दौरान उपयोग में आने वाली मशीनों के नाम	हाँ	J.C.B. पोम्पिंग मशीन



  
(तहसीलदार)  
उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार  
गौहरगंज जिला रायसेन



ग्राम अगरिया हल्का अगरिया रा. नि. नं. गौहरगंज तहसील गौहरगंज जिला रायसेन वर्ष २०१०-२०१५

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाल में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	रा. नि. नं. गौहरगंज	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि			खाते के बाहर के क्षेत्रों में बाँडे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष	कैफियत		
					क्षेत्रफल	दुफसलौ क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल					
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	
१५	१.७७२	नरेंद्र कुमार आ०-लौलाधर शर्मा जाति ब्राह्मण पता नि०-ओ०गंज भूमि स्वामी भू-राजस्व ५.३१		किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	दुफसलौ क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बाँडे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष	कैफियत
१०७/१/११	२.०२३	नरेंद्र कुमार आ०-लौलाधर शर्मा बशरह नं. ९५ भू-राजस्व ३.४५		किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	दुफसलौ क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बाँडे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष	कैफियत
१०७/१/२१	०.२५१	नरेंद्र कुमार आ०-लौलाधर शर्मा बशरह नं. ९५ भू-राजस्व ०.२२		किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	दुफसलौ क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बाँडे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष	कैफियत
२५	१.७७२	नरेंद्र कुमार आ०-लौलाधर शर्मा जाति ब्राह्मण पता नि०-ओ०गंज भूमि स्वामी भू-राजस्व ५.३१		किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुमी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	क्षेत्रफल	दुफसलौ क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बाँडे गये फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	वर्ष	कैफियत



RECEIVED  
ग्राम (बांता)  
प्याज

रायसेन जिला प्रशासक

6383/15

रा. नि. नं. पत्र

27/4/15

प्रतिनिधि  
रायसी



कार्यालय ग्राम पंचायत अगरिया  
जनपद पंचायत औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन(म.प्र.)



क्रमांक / ए/पचा/2010

दिनांक 24/7/10

प्रति,

श्रीमान मिस्टर इन्द्रकाश मधोका  
जिला रायसेन (म.प्र.)

विषय :- वराम अगरिया से कारिया ब्लॉक थैला हल्का क्र. 03-  
अ.क्र. 98 रकम 4,38 रु. एवं क्र. 107/1/1  
रकम 5.00 रु. एवं कुल रकम 9,38 रु. पर  
परत लेमत मशीन बने लीकरी वावत ।

मधोक

उल्लेखित लिप्यावलीत लेख है कि वराम अगरिया  
से आवेदक श्री. इन्द्रकाश मधोक 98 क्रमांक थैला हल्का  
क्र. 03 औबेदुल्लागंज हल्का थैली मिश्र रकम पर  
परत लेमत मशीन बने लीकरी बने लीकरी  
वहां थैला हल्का थैला गंज हल्का थैला हल्का  
लिप्या गरी कि वराम पंचायत अगरिया  
परत लेमत मशीन बने लीकरी वहां थैला हल्का  
वहां आवेदक लीकरी

कामि शांति

Rhi  
2/8/2010

अंक ! पत्रिका श्रीलिपि

रामकोर

  
सचिव  
ग्राम पंचायत, अगरिया  
जन.पंचा. औबेदुल्लागंज

सरपंच  
ग्राम पंचायत, अगरिया  
जन.पंचा. औबेदुल्लागंज

# रजिस्टर

बच्चों की बैठकों की कार्यवाही

स्थान: शान्ति निकेतन, भोपाल तहसील: शान्ति निकेतन जिला: भोपाल

क्र.सं.	उपस्थित बच्चों के नाम	विषय	बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही	प्रस्ताव जो धारा 144	बच्चों के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान
1	मीमति, गमना, (लेखिका)	उद्यान इकाई के	आज दिनांक 27/11/11 को	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
2	पूजा, अरुण, इन्द्रप्रकाश	कारिता सेवा से	उपरोक्त बच्चों के	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
3	गणेश, विद्या, पंकज	या नरेश से	बाई बच्चे	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
4	सुधा, अरुण	मशीन लगाते	जी. नरेश से	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
5	अरुण, विद्या	लीकरी बनाते	दिनांक 27/11/11 को	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
6	श्री. तैरसिंह		उपरोक्त बच्चों	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
7	कनिष्क		अ.नं. 104/1/11	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
8	श्री. राम		उपरोक्त बच्चों	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
9	विद्या		उपरोक्त बच्चों	उपरोक्त बच्चों	दिनांक
<u>सारांश</u>			<p>उपरोक्त बच्चों के द्वारा उपरोक्त विषयों पर चर्चा की गई। बच्चों को उपरोक्त विषयों पर कार्यवाही करने के लिए प्रेरित किया गया।</p>		
<u>संकेत</u>			<p>सचिव ग्राम-पंचायत, शान्ति जन.पंचा. ओबेदुल्लागंज</p>		
<u>संकेत</u>			<p>सरपंच ग्राम-पंचायत, शान्ति जन.पंचा. ओबेदुल्लागंज</p>		

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल औबेदुल्लागंज

(2)

क्रमांक/मा.चि./10/

2733

औ.गंज/दिनांक

30/7/10

प्रति

कलेक्टर  
जिला-रायसेन (म.प्र.)

विषय : उत्खनन पट्टा आवेदन ग्राम अगरिया तहसील गोहरगंज खसरा क्रमांक 95  
रकबा 4.38 एकड़ व 107/1/1/1 रकबा 5.00 एकड़ कुल रकबा 9.38  
एकड़ वास्ते पत्थर केशर खनिज आवेदक श्री नरेन्द्र कुमार आ0 श्री लीलाधर  
शर्मा निवासी औ.गंज

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक/837/खनिज दिनांक 13.7.2010

-----0-----

विषयान्तर्गत में निवेदन है कि उप वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज एवं  
अधीक्षक रातापानी अभयारण्य औ.गंज के प्रतिवेदन के अनुसार उत्खनन हेतु प्रस्तावित भूमि  
ग्राम अगरिया तहसील गोहरगंज खसरा क्रमांक 95 एवं 107/1/1/1 रकबा 9.38 एकड़  
वन सीमा से 375 मीटर की दूरी पर एवं अभयारण्य सीमा से 01 कि०मी० की दूरी के बाहर  
स्थित है।

अतः म०प्र० शासन वनविभाग के पत्र क्रमांक एफ-5/16/81/10-3  
दिनांक 07/10/02 के अनुसार उत्खनन हेतु आवेदित स्थल वन सीमा से 250 मीटर की  
दूरी के बाहर एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4.8.06 के अनुसार  
अभयारण्य की सीमा से 01 कि०मी० की परिधि के बाहर स्थित होने से प्रकरण में लीज  
स्वीकृति की स्थिति में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अधीक्षक रातापानी

2/8/2010

क्रमांक/मा.चि./10/

प्रतिलिपि :-

अधीक्षक रातापानी अभयारण्य/उप वनमण्डलाधिकारी औबेदुल्लागंज एवं  
परिक्षेत्राधिकारी गोहरगंज की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी  
(सा.) वनमण्डल औबेदुल्लागंज

औ.गंज/दिनांक

वनमण्डलाधिकारी  
(सा.) वनमण्डल औबेदुल्लागंज



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

684743



*[Handwritten signature]*

प्रारूप - सात  
उत्खनन पट्टा विलेख  
(नियम 26 - देखिये)

यह करार एक पक्षकार के रूप में कालेक्टर शिवसेन माध्यम से कार्य करते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हैं, वहां उनके उत्तरवर्ती भी हैं) और दूसरे पक्षकार श्री जयदेव कुमार आओ श्री मीला देवी शर्मा निवासी वाई नं० १ हिरानिवा डोंगरी (व्यक्ति का नाम, पता तथा व्यवसाय सहित) जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हैं, वहां उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी हैं;

अथवा

(सोसायटी या सहयोजन का नाम पता तथा व्यवसाय सहित) तथा (व्यक्ति का नाम पता सहित) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल हैं, वहां उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिनी भी हैं);

*[Handwritten signature]*

खनिज अधिकारी  
खासतः कलेक्टर रायसेन